र्गजस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



₹1. 506] No. 506] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1998/पौष 3, 1920 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1998/PAUSA 3, 1920

> रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 764 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 की धारा 21) की धारा 6 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस.बी. साक्रिकर को 15 सितम्बर, 1998 (अपराह्न) सं एक वर्ष की अर्बाध के लिए भोपाल गैस रिसाब दुर्घटना के पीड़ितों के कल्याण के लिए समवर्ती पभार सिंहत आयुक्त के वर्तमान भद पर नियुक्त करती है। यह इस विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 1997 की अधिसृचना सं. जी. एस. आर. 652 (अ) के क्रम में है।

[फा. सं. 21/27/95-भोपाल सेल]

शान्तनु कंसल, संयुक्त सांचव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (Department of Chemicals & Petrochemicals) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1998

G. S. R. 764 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act. 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri S. B. Sakrikar, sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a layther period of one year with effect on and from the 15th September, 1998 (afternoon). This is in continuation of this Department's notification No. G. S. R. 652 (E) dated the 12th November, 1997.

J No. 21/27/95-B. CellJ

SHANTANU CONSUL, Jr. Seev.

3 171 OF 98